



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FX 800503

( प्राकृत - "अ" )

सन् 2023-24 में वास्तुवापिस की जाने वाली दिश्लोक इन फार्मिनी संस्थाओं की सोसाइटी ट्रस्ट के अध्यक्ष और / सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले सोडरी संप्रमाण का प्राकृत-

एन. सुबोधन शर्मा (सम अध्यक्ष) एम. राजराज सिंह (सम सचिव) अमराज अग्रवाल सम सचिव- देवा देवी किरात समित भागलपुर वैशाल किराती वैशपुरी अग्रपुरीक विद्यवाद् अग्रवाल इत्यादि-

यह कि इसी सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा / देवा देवी फार्मिनी कॉलेज (पता का नाम एवं पता) भागलपुर वैशाल किराती वैशपुरी भागल दिश्लोक इन फार्मिनी संस्था की स्थापना सन् 2023-24 से किया जाता प्रकृतिक है।

यह कि इसी सोसाइटी नाम के ट्रस्ट / देवा देवी फार्मिनी कॉलेज (पता जहाँ पर भूमि स्थित है) में गटा संख्या 41/2ग, 40, 41, एवं 8380 वर्ग मीटर सतवा क्रमशः 2 एकड़ एवं 0.838 हेक्टेयर (कुल सतवा 0.838 हेक्टेयर) भूमि है।

यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का सोडरी की कार्य किसी भी स्थापना में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद नहीं

यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपरोक्त भूमि के गटा 41/2ग, 40, 41, एवं 8380 वर्ग मीटर सतवा क्रमशः 2 एकड़ एवं 0.838 वर्ग मीटर हेक्टेयर (कुल सतवा हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम दिश्लोक इन फार्मिनी संस्था की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिश्लोक पारित किया गया है।

4. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्ताव दिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
5. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
6. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही दिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
7. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
8. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली में अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ में सम्बद्ध संस्था अतिरिक्त किसी एवं पाठ्यक्रमों के परिषद विश्वविद्यालय / आदि का संचालन न तो पूर्व 'आई०टी०आई' / महाविद्यालय / विद्यालय / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / अनुमोदित में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
9. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कक्षा कम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
10. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा तब प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
11. यह कि, भासन आदेशों का भलीभांति पालन करेगा। यदि भेरे संस्थान में किसी भी / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / समस्त स्थायी निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं उसे मान्य होगा। इस हेतु भेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
12. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि भेरे द्वारा की गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जा/नकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि की गयी जानकारी एवं अभिलेख दस्तावेज फर्जी / कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो भेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

*G. S. Yadav*  
संस्थाध्यक्ष

*Dr. J. K. Singh*  
हो. अध्यक्ष

का. सं. १०१/२३  
के. का. सं. १०१/२३  
दि. १०/११/२३  
स्थान: दिल्ली  
संस्थाध्यक्ष  
हो. अध्यक्ष

*L. S. Yadav*  
*B. S. Yadav*  
*L. S. Yadav*  
*L. S. Yadav*